दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने** [दलबदल विरोधी कानून](#) **के तहत दो विधायकों को अयोग्य** घोषित कर दिया।

प्रमुख बिंदु:

- दोनों विधायकों को [संविधान की 10वीं अनुसूची](#) के तहत दलबदल का दोषी पाया गया है।
- **दलबदल विरोधी कानून:**
  - दलबदल विरोधी कानून [संसद सदस्यों (Members of Parliament - - MP)/विधानसभा सदस्यों (Members of the Legislative Assembly- MLA)](#) को एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने पर दंडित करता है।
  - संसद ने **विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने** के लिये इसे वर्ष **1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची** के रूप में जोड़ा था।
    - **दसवीं अनुसूची -** जिसे लोकप्रिय रूप से **दलबदल विरोधी अधिनियम** के रूप में जाना जाता है - को **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
  - यह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के आधार पर **निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता** के प्रावधान निर्धारित करता है।
    - यह वर्ष 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने वाले विधायकों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को गिराने की प्रतिक्रिया थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disqualification-under-anti-defection-law